न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 38 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रिय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी, वन मण्डल झुन्झुनूं।

—प्रार्थी / आवेदक

— बनाम —

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र धनाराम जाति माली प्लाट नंबर 1 गणपति निवास, गणेश नगर, निवारू रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी।

—रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 वास्ते निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितिः—

1. क्षेत्रिय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी———————— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनोहर लाल सैनी, एडवोकेट ————————अप्रार्थी नं01 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ————अप्रार्थी नं0 2 की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 11.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट ऑफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि—पटवार हल्का बागौरा में जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 में खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नं0 261 रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा का है जो मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड़ तथा पहाड़िया दर्ज था। खसरा नं0 262 जुज रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0 मु0 पहाड़ राजस्थान वन अधिनियम

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करने के लिए एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1957 से घोषित रक्षित वन खण्ड रघुनाथगढ़ जिसे एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21.06.1973 के द्वारा अन्तिम रूप से रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। (संलग्न एनेक्सर–1) उक्त भूमि वन सीमा स्तम्भों 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 एवं 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 द्वारा सीमांकित करने हुए वन खंड रघुनाथगढ़ के ग्राम बागौरा की रक्षित वन भूमि में शामिल किया गया (संलग्न एनेक्सर–2) । दिनांक 09.02.2012 द्वारा जारी विज्ञप्ति से वन्यजीवों के लिए वन्यजीव अधिनियम 1972 के अन्तर्गत शाकम्भरी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है । (संलग्न एनेक्सर–3) निजी खातेदारों को उक्त अधिसूचित रक्षित वन भूमि से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि मंगला पुत्र भोपाल कोम मीणा जो जमाबन्दी संवत् 2016–2020 में दर्ज है को आंवटित कर दी गई तथा आंवटन आदेश 30.01.1972 से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आंवटन सुरजभान पुत्र रिछपाल शर्मा, 3 बीघा मंगला पुत्र भोपाल मीणा तथा 5 बीघा छगन लाल पुत्र रामजी लाल चौधरी को कर दिया गया है। यह आंवटन अधिसूचित रक्षित वन भूमि में राजस्थान वन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) से (5) तक की कार्यवाही अपनाये बिना आंवटन कमेटियों द्वारा किया गया है जो पूर्ण रूप से अवैध एवं " शून्य" है तथा आंवटन की गई भूमि गै0 मु0 पहाड़ होने के बावजूद किस्म बारानी कर नियम विरूद्व जाकर कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन किया गया है। माननीय हरित प्राधिकरण Central Zonal Bench Bhopal के ओ.ए. संख्या 131/2014 रामस्वरूप यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23. 02.2015 द्वारा दिये गये निर्णय में भी राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) से (5) के तहत बिना डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही अपनाते हुए किये गये आंवटन को " शून्य" माना है। (संलग्न एनेक्सर–4) वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के प्रावधान लागू होने के कारण अधिसूचित वन भूमियों का डिनोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है तथा अधिसूचित वन भूमि पर बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी गतिविधि किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। (संलग्न एनेक्सर–5)

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अप्रार्थी संख्या 2 के वर्तमान में खसरा नं0 215 रकबा 1.34 है0,खसरा नंबर 216 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नंबर 217 रकबा 0.17 हैक्टर अधिसूचित रक्षित भूमि हाल राजस्व जमाबंदी में अप्रार्थी 2 के नाम से दर्ज है जिसे खारिज कर अधिसूचित रक्षित वन भूमि को वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश जारी करे। (संलग्न एनेक्सर–6) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार निर्देश जारी किये गये है कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आंवटन/रूपान्तरण करें, जो इस प्रकरण में नही किया गया है। (संलग्न एनेक्सर–7) उक्त आंवटन आदेश गैर मुमकिन भूमि की किस्म बदलने के पश्चात् व जंगलात की भूमि जंगलात नियमों से मुक्त कर दिये जाने के पश्चात् जारी किये जाने थे, जिनकी पालना नही की गई, अतः उक्त आंवटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। आंवटन कमेटी के आंवटन निर्णय में वर्णित शर्त की पालना न किये जाने के कारण आंवटन एवं उसके आधार पर दर्ज खातेदारी **NULL AND VOID** है। आंवटन आदेश के विरूध कार्यवाही के लिए मियाद लागू नही है। प्रतिवादीगण ने वादी को यह धमकी दी है कि यह राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है इसलिए इस पर कब्जा करके काश्त करेगें। इस पर प्रार्थी उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड पता किया तो मालूम हुआ कि यह भूमि वन विभाग की गजट नोटिफाई भूमि होने के बावजूद अन्य की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज रिकार्ड है इसलिए यह प्रार्थना पत्र उक्त भूमि को वन विभाग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु पेश की जा रही है। उपरोक्त दरख्वास्त सुनने का अधिकार जेर अदालत हाजा को है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई।

अप्रार्थी नरेन्द्र कुमार की ओर से श्री मनोहरलाल सैनी, एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा जाहिर किया कि – भूमि पुराना खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 विश्वा थे जिसके पश्चातवृति प्रकरम पर उक्त भूमि खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 विश्वा को राजस्व रिकार्ड में परिर्वतित पुराना खसरा नं0 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 172 रकबा 0.65 है0, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 174 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नं0 पुराना 262मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 182 रकबा 3.67 हैक्टर, पुराना 262/830 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 183 रकबा 0.44 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 184 रकबा 0.19 हैक्टर,

43
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

पुराना खसरा नं0 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 185 रकबा 0.36 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मीन, नये परिवर्तित खसरा नं0 186 रकबा 0.74 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मी0 नये परिवर्तित खसरा नं0 187 रकबा 0.02 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 परिवर्तित खसरा नं0 189 रकबा 0.32 हैक्टर, पुराना 261 मीन व 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 215 रकबा 1.34 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 216 रकबा 0.10 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 217 रकबा 0.17 हैक्टर, पुराना 259 मी0, 261 मीन, 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 218 रकबा 2.80 हैक्टर, पुराना 262मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 1408/182 रकबा 0.42 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 1462/215 रकबा 0.54 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में कर दिये गये। जिसका कोई भी अंकन आवेदक ने वर्तमान आवेदन पत्र में नहीं दिया है। तथा ना ही उक्त वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान का समुचित व पर्याप्त अंकन किया है राजस्व रिकार्ड जमाबंदीका अवलोकन किया जो तो उक्त भूमि पश्चातवर्ती खसरा नंबर 262 रकबा 10 बीघा सोनाराम पुत्र मंगता की खातेदारी में दर्ज है । इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उक्त सोनाराम के पिता मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रहीं है। जो राजस्व रिकार्ड शुरू से वर्तमान समय तक है उसके अनसुार उक्त भूमि उसके खातेदार काश्तकारो के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त नही नही रहा है। तथा उक्त भूमि को नियमानुसार अलोटमैन्ट किया जा चुका है इसलिए उक्त अलोटमेंट को कानूनन इतने वर्षो के बाद में खारीज नही किया जा सकता है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुंझुनू द्वारा नोटिस के सलग्न एनेक्सर–1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को कानूनी प्रकिया अपनाते हुये आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किये जाने से पूर्व तथा आवेदक के अधिकार में आने से पूर्व ही आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियो को आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवटंन किये जाने के कारण अब उक्त भूमि के आवटन को निरस्त करवाने का आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त विवादित भूमि खसरा नं0 262 को शुरू से ही उसके खातेदार मगंला पुत्र भोपाल्या कोम मीणा व सुरजभान पुत्र रिछपाल शर्मा व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर उक्त मगंला व सुरजभान का कब्जा काश्त ही चला आ रहा था तथा उनसे पूर्व उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था उक्त भूमि कभी भी गै0 मु0 पहाड़ की भूमि नही रही है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। उक्त भूमि को नियमन करने बाबत तहसीलदार की अध्यक्षता में सलाहकार कमेटी आंवटन के सदस्यो की

48
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दिनांक 31/1/72 को उदयपुरवाटी तहसील भवन में बैठक की गई। तथा उक्त बैठक में उक्त खातेदारो का कब्जा दिनांक 31/12/70 से पूर्व का मानते हुये उक्त भूमि पर जिन व्यक्तियो का कब्जा काश्त था उन व्यक्तियो के नाम उक्त भूमि का नियमन कर दिया तथा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी उक्त व्यक्तियो को सरकार द्वारा दे दिये गये थे। उक्त भूमि का नियमन होने के उपरान्त व पूर्व से ही उक्त भूमि पर लगातार उक्त व्यक्तियो का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्तानुसार उक्त भूमि के बाबत निष्पादित आदेश दिनांक 31/1/1972 के तहत उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन सुरजभान पुत्र रिछपाल के नाम हुआ है तथा पश्चातवृति राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि हाल खसरा नं0 215, 216, 217 मगलाराम के पुत्र सोना राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2033 से सम्वत् 2036 तक है। तथा उसके बाद उक्त सोनाराम की मृत्यु के बाद उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्तकाल उक्त सोनाराम के विधिक वारिसान भंवर, रामदेव पुत्र सोनाराम व ज्यानकी बेवा सोनाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2065 तक है। तथा इसी दौरान उक्त भूमि उप पजियक उदयपुरवाटी के समपरिवर्तन आदेश (पट्टा) दिनांक 29/5/2018 के तहत भंवरलाल पुत्र सोनाराम, सांवरमल, श्रवण कुमार, विजय कुमार पुत्रगण रामदेवाराम, गोरली देवी पत्नी रामदेवाराम निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुँझुनूँ के नाम आद्योगिक प्रयोजनार्थ हुआ है। उक्त सम परिवर्तन आदेश दिनांक 29/5/2018 के विरूध कोई भी अपील वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक वनविभाग की ओर से आज तक नही की गई है। सम परिवर्तन आदेश दिनांक 29/5/2018 के विरूध अपील न करने की स्थिति में आवेदक का वर्तमान आवेदन पत्र किसी प्रकार से पौषणीय नही है। तथा उक्त समपरिवर्तन आदेश जारी होने से पूर्व ग्राम बागोरा के तत्कालीन संरपच ने अनापति प्रमाण पत्र भी दिनांक 25/5/18 को जारी किया था जिसके विरूध भी प्रार्थी वनविभाग ने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही कही नही की है। उक्त समरिवर्तन आदेश दिनांक 25/5/18 के आवेदक भंवरलाल पुत्र सोनाराम, सांवरमल, श्रवण कुमार, विजय कुमार पुत्रगण रामदेवा राम, गोरली देवी पत्नी रामदेवाराम निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू ने उक्त भूमि नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री धन्नाराम सैनी, जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी प्लॉट नं0 1 गणपती निवास, गणेशनगर, निवारू रोड़ बाईपास, जयपुर राज0 को दिनांक 29/05/2018 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 29/05/2018 को लिखवाकर उसका पंजियन दिनांक 29/05/2018 को उपपजियक उदयपुरवाटी के यहा करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्तित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 29/05/2018 के केता अनावेदक नरेन्द्र उक्त भूमि को लगातार औद्योगिक प्रयोजनार्थ ही काम ले रहा है तथा जिसका अंकन सम्वत् 2075 से 2078 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

उक्त भूमि का वर्गीकरण औद्योगिक प्रयोजन (स्टोन क्रेशर) ही दर्ज है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा किया गया और उक्त भूमि का सीमाकंन खातेदारान की मौजूदगी में व वनविभाग के अधिकारी व वन विभाग के हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया और रिर्पोट व आदेश में उक्त भूमि को वन विभाग की नही माना गया। उसके बाद सहायक वन सरक्षक झुझुनूँ द्वारा दिनांक 13/11/18 को एक नोटिस अनावेदक को जारी किया गया जिसमें गलत तौर से उक्त भूमि को वन भूमि होना बताकर अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया जिसका प्रयाप्त समुचित जबाब मय दस्तावेज के दिया गया जिससे संतुष्ट होकर व मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग झुँझुनू द्वारा उक्त भूमि को अपने आदेश दिनांक 24/1/19 के तहत वन विभाग की नही माना जिसके विरूध भी वर्तमान आवेदक ने कोई अपील नही की इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक को वर्तमान आवेदन पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उक्त भूमि पुराने समय से ही इसके खातेदार व काश्तकारान के कब्जे में रही है तथा वन विभाग का कभी कोई कब्जा नही रहा है। पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि विक्रय, अनतरित हस्तान्तरति व समपरिर्वतित हुई जिसके विरूध भी कोई भी अपील या चाराजोही वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक द्वारा कभी नही की गई तथा उक्त आवंटन के विरूध भी अन्दर मियाद कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा नही की गई है। स्वयं आवेदक ने जो पूर्व में 91 का नोटिस अनावेदक को दिया था जिसका निस्तारण करते हुये उन्होने उक्त भूमि वनविभाग की नही मानी इस प्रकार आवेदक अपने पूर्व आदेश दिनांक 29/1/19 के पूर्वतया विबन्धीत है। मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से गलत आवेदन पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि – पटवार हल्का बागौरा में जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 में खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नं0 261 रकबा 47 बीघा 19 बिस्वा का है जो मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पहाड़ तथा पहाड़िया दर्ज था। खसरा नं0 262 जुज रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0 मु0 पहाड़ राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करने के लिए एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1957 से घोषित रक्षित वन खण्ड रघुनाथगढ़

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जिसे एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21.06.1973 के द्वारा अन्तिम रूप से रक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। (संलग्न एनेक्सर–1) उक्त भूमि वन सीमा स्तम्भों 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 एवं 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 द्वारा सीमांकित करने हुए वन खंड रधुनाथगढ़ के ग्राम बागौरा की रक्षित वन भूमि में शामिल किया गया (संलग्न एनेक्सर–2) । दिनांक 09.02.2012 द्वारा जारी विज्ञप्ति से वन्यजीवों के लिए वन्यजीव अधिनियम 1972 के अन्तर्गत शाकम्भरी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है । (संलग्न एनेक्सर–3) निजी खातेदारों को उक्त अधिसूचित रक्षित वन भूमि से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि मंगला पुत्र भोपाल कोम मीणा जो जमाबन्दी संवत् 2016–2020 में दर्ज है को आंवटित कर दी गई तथा आंवटन आदेश 30.01.1972 से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आंवटन सुरजभान पुत्र रिछपाल शर्मा, 3 बीघा मंगला पुत्र भोपाल मीणा तथा 5 बीघा छगन लाल पुत्र रामजी लाल चौधरी को कर दिया गया है। यह आंवटन अधिसूचित रक्षित वन भूमि में राजस्थान वन अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) से (5) तक की कार्यवाही अपनाये बिना आंवटन कमेटियों द्वारा किया गया है जो पूर्ण रूप से अवैध एवं " शून्य" है तथा आंवटन की गई भूमि गै0 मु0 पहाड़ होने के बावजूद किस्म बारानी कर नियम विरूद्व जाकर कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन किया गया है। माननीय हरित प्राधिकरण Central Zonal Bench Bhopal के ओ.ए. संख्या 131/2014 रामस्वरूप यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.02.2015 द्वारा दिये गये निर्णय में भी राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) से (5) के तहत बिना डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही अपनाते हुए किये गये आंवटन को " शून्य" माना है। (संलग्न एनेक्सर–4) वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 के प्रावधान लागू होने के कारण अधिसूचित वन भूमियों का डिनोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है तथा अधिसूचित वन भूमि पर बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के गैर वानिकी गतिविधि किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। (संलग्न एनेक्सर–5) अप्रार्थी संख्या 2 के वर्तमान में खसरा नं0 215 रकबा 1.34 है0,खसरा नंबर 216 रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नंबर 217 रकबा 0.17 हैक्टर अधिसूचित रक्षित भूमि हाल राजस्व जमाबंदी में अप्रार्थी 2 के नाम से दर्ज है जिसे खारिज कर अधिसूचित रक्षित वन भूमि को वन विभाग के नाम

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश जारी करे। (संलग्न एनेक्सर–6) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार निर्देश जारी किये गये है कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आंवटन/रूपान्तरण करें, जो इस प्रकरण में नही किया गया है। (संलग्न एनेक्सर–7) उक्त आंवटन आदेश गैर मुमकिन भूमि की किस्म बदलने के पश्चात् व जंगलात की भूमि जंगलात नियमों से मुक्त कर दिये जाने के पश्चात् जारी किये जाने थे, जिनकी पालना नही की गई, अतः उक्त आंवटन स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। आंवटन कमेटी के आंवटन निर्णय में वर्णित शर्त की पालना न किये जाने के कारण आंवटन एवं उसके आधार पर दर्ज खातेदारी **NULL AND VOID** है। आंवटन आदेश के विरूध कार्यवाही के लिए मियाद लागू नही है। प्रतिवादीगण ने वादी को यह धमकी दी है कि यह राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है इसलिए इस पर कब्जा करके काश्त करेगें। इस पर प्रार्थी उपरोक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड पता किया तो मालूम हुआ कि यह भूमि वन विभाग की गजट नोटिफाई भूमि होने के बावजूद अन्य की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज रिकार्ड है इसलिए यह प्रार्थना पत्र उक्त भूमि को वन विभाग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु पेश किया जा रहा है।

विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी नंबर 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– भूमि पुराना खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 विश्वा थे जिसके पश्चातवृति प्रकरम पर उक्त भूमि खसरा नं0 262 रकबा 48 बीघा 5 विश्वा को राजस्व रिकार्ड में परिर्वतित पुराना खसरा नं0 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 172 रकबा 0.65 है0, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 174 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नं0 पुराना 262मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 182 रकबा 3.67 हैक्टर, पुराना 262/830 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 183 रकबा 0.44 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 184 रकबा 0.19 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 185 रकबा 0.36 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मीन, नये परिवर्तित खसरा नं0 186 रकबा 0.74 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 मी0 नये परिवर्तित खसरा नं0 187 रकबा 0.02 हैक्टर, पुराना खसरा नं0 262/830 परिवर्तित खसरा नं0 189 रकबा 0.32 हैक्टर, पुराना 261 मीन व 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 215 रकबा 1.34 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 216 रकबा 0.10 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 217 रकबा 0.17 हैक्टर, पुराना 259 मी0, 261 मीन, 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 218 रकबा 2.80 हैक्टर,

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

पुराना 262मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 1408/182 रकबा 0.42 हैक्टर, पुराना 262 मीन नये परिवर्तित खसरा नं0 1462/215 रकबा 0.54 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में कर दिये गये। जिसका कोई भी अंकन आवेदक ने वर्तमान आवेदन पत्र में नहीं दिया है। तथा ना ही उक्त वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान का समुचित व पर्याप्त अंकन किया है राजस्व रिकार्ड जमाबंदीका अवलोकन किया जो तो उक्त भूमि पश्चातवर्ती खसरा नंबर 262 रकबा 10 बीघा सोनाराम पुत्र मंगता की खातेदारी में दर्ज है । इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उक्त सोनाराम के पिता मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रहीं है। जो राजस्व रिकार्ड शुरू से वर्तमान समय तक है उसके अनसुार उक्त भूमि उसके खातेदार काश्तकारो के नाम से ही दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कोई कब्जा काश्त नही नही रहा है। तथा उक्त भूमि को नियमानुसार अलोटमैन्ट किया जा चुका है इसलिए उक्त अलोटमेंट को कानूनन इतने वर्षो के बाद में खारीज नही किया जा सकता है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुंझुनू द्वारा नोटिस के सलग्न एनेक्सर–1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किये जाने से पूर्व तथा आवेदक के अधिकार में आने से पूर्व ही आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार भूमिहीन व्यक्तियो को आंवटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवटंन किये जाने के कारण अब उक्त भूमि के आवटन को निरस्त करवाने का आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। उक्त विवादित भूमि खसरा नं0 262 को शुरू से ही उसके खातेदार मगंला पुत्र भोपाल्या कोम मीणा व सुरजभान पुत्र रिछपाल शर्मा व उनके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से काश्त करते आ रहे थे तथा उक्त भूमि पर उक्त मगंला व सुरजभान का कब्जा काश्त ही चला आ रहा था तथा उनसे पूर्व उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था उक्त भूमि कभी भी गै0 मु0 पहाड़ की भूमि नही रही है तथा न ही वन विभाग का कभी कोई कब्जा रहा है। उक्त भूमि को नियमन करने बाबत तहसीलदार की अध्यक्षता में सलाहकार कमेटी आंवटन के सदस्यो की दिनांक 31/1/72 को उदयपुरवाटी तहसील भवन में बैठक की गई। तथा उक्त बैठक में उक्त खातेदारो का कब्जा दिनांक 31/12/70 से पूर्व का मानते हुये उक्त भूमि पर जिन व्यक्तियो का कब्जा काश्त था उन व्यक्तियो के नाम उक्त भूमि का नियमन कर दिया तथा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी उक्त व्यक्तियो को सरकार द्वारा दे दिये गये थे। उक्त भूमि का नियमन होने के उपरान्त व पूर्व से ही उक्त भूमि पर लगातार उक्त व्यक्तियो का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्तानुसार उक्त भूमि के बाबत निष्पादित आदेश दिनांक 31/1/1972 के तहत उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन सुरजभान पुत्र रिछपाल के नाम हुआ

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

है तथा पश्चातवृति राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि हाल खसरा नं0 215, 216, 217 मगलाराम के पुत्र सोना राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2033 से सम्वत् 2036 तक है। तथा उसके बाद उक्त सोनाराम की मृत्यु के बाद उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का इन्तकाल उक्त सोनाराम के विधिक वारिसान भंवर, रामदेव पुत्र सोनाराम व ज्यानकी बेवा सोनाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार का अंकन सम्वत् 2065 तक है। तथा इसी दौरान उक्त भूमि उप पजियक उदयपुरवाटी के समपरिवर्तन आदेश (पट्टा) दिनांक 29/5/2018 के तहत भंवरलाल पुत्र सोनाराम, सांवरमल, श्रवण कुमार, विजय कुमार पुत्रगण रामदेवाराम, गोरली देवी पत्नी रामदेवाराम निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुँझुनूँ के नाम आद्योगिक प्रयोजनार्थ हुआ है। उक्त सम परिवर्तन आदेश दिनांक 29/5/2018 के विरूध कोई भी अपील वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक वनविभाग की ओर से आज तक नही की गई है। सम परिवर्तन आदेश दिनांक 29/5/2018 के विरूध अपील न करने की स्थिति में आवेदक का वर्तमान आवेदन पत्र किसी प्रकार से पौषणीय नही है। तथा उक्त समपरिवर्तन आदेश जारी होने से पूर्व ग्राम बागोरा के तत्कालीन संरपच ने अनापति प्रमाण पत्र भी दिनांक 25/5/18 को जारी किया था जिसके विरूध भी प्रार्थी वनविभाग ने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही कही नही की है। उक्त समरिवर्तन आदेश दिनांक 25/5/18 के आवेदक भंवरलाल पुत्र सोनाराम, सांवरमल, श्रवण कुमार, विजय कुमार पुत्रगण रामदेवा राम, गोरली देवी पत्नी रामदेवाराम निवासी ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुनू ने उक्त भूमि नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री धन्नाराम सैनी, जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी प्लॉट नं0 1 गणपती निवास, गणेशनगर, निवारू रोड़ बाईपास, जयपुर राज0 को दिनांक 29/05/2018 को विक्रय कर दी थी जिसका विक्रय पत्र दिनांक 29/05/2018 को लिखवाकर उसका पंजियन दिनांक 29/05/2018 को उपपजियक उदयपुरवाटी के यहा करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र निरस्तीकरण का कोई दावा आवेदक द्वारा नही किया है। उक्त विक्रय पत्र के अस्तित्व में रहते हुये कोई भी कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक व अकृत व शून्य व निष्प्रभावी होती है। उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 29/05/2018 के क्रेता अनावेदक नरेन्द्र उक्त भूमि को लगातार औद्योगिक प्रयोजनार्थ ही काम ले रहा है तथा जिसका अंकन सम्वत् 2075 से 2078 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि का वर्गीकरण औद्योगिक प्रयोजन (स्टोन क्रेशर) ही दर्ज है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा किया गया और उक्त भूमि का सीमाकंन खातेदारान की मौजूदगी में व वनविभाग के अधिकारी व वन विभाग के हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया और रिर्पोट व आदेश में उक्त भूमि को वन विभाग की नही माना गया। उसके बाद सहायक वन सरक्षक झुझुनूँ द्वारा दिनांक 13/11/18 को एक नोटिस अनावेदक को जारी किया गया जिसमें गलत तौर से उक्त भूमि को वन भूमि होना बताकर अतिक्रमण किया जाना

43
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

दर्ज किया जिसका प्रयाप्त समुचित जबाब मय दस्तावेज के दिया गया जिससे संतुष्ट होकर व मौके की स्थिति अनुसार वन विभाग झुँझुनू द्वारा उक्त भूमि को अपने आदेश दिनांक 24/1/19 के तहत वन विभाग की नही माना जिसके विरूध भी वर्तमान आवेदक ने कोई अपील नही की इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक को वर्तमान आवेदन पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहता है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उक्त भूमि पुराने समय से ही इसके खातेदार व काश्तकारान के कब्जे में रही है तथा वन विभाग का कभी कोई कब्जा नही रहा है। पश्चातवृति प्रकम पर उक्त भूमि विक्रय, अनतरित हस्तान्तरति व समपरिर्वतित हुई जिसके विरूध भी कोई भी अपील या चाराजोही वर्तमान आवेदन पत्र के आवेदक द्वारा कभी नही की गई तथा उक्त आवंटन के विरूध भी अन्दर मियाद कोई कार्यवाही आवेदक द्वारा नही की गई है। स्वयं आवेदक ने जो पूर्व में 91 का नोटिस अनावेदक को दिया था जिसका निस्तारण करते हुये उन्होने उक्त भूमि वनविभाग की नही मानी इस प्रकार आवेदक अपने पूर्व आदेश दिनांक 29/1/19 के पूर्वतया विबन्धीत है। मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से गलत आवेदन पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नंबर–1 ने अपने पक्ष समर्थन में बृजलाल बनाम राजस्थान सरकार आर0 एल0 डब्ल्यू 1999 (3) राज0 पेज 1390, आर.आर.डी 2013 पेज 456,आर.आर.डी. 2010 पेज 78, आर.आर. डी. 2018 पेज 479 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नंबर–2 राजस्थान सरकार ने कथन किया कि उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड कभी वन विभाग के नाम से दर्ज नहीं हुई और ना ही वन विभाग का कभी इस भूमि पर कब्जा रहा जिसके कारण समय–समय पर भूमि का स्थानान्तरण एवं किस्म परिवर्तन होती रही है। विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा विवादि भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि का इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को आवटंन कमेटी द्वारा आंवटन कर दिया गया था। अब इतने समय बाद उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने का आवेदक को कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र काफी देरी से प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया । राजस्व रिकार्ड के

48
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नं0 262 रकबा 10 बीघा सोनाराम पुत्र मंगला की खातेदारी में दर्ज है। इससे पूर्व के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि सोनाराम के पिता मंगलाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में शुरू से लेकर वर्तमान तक विवादित भूमि के संबंध में वन विभाग के नाम से कोई अंकन नहीं है। आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी वन मण्डल झुंझुनू द्वारा सलग्न एनेक्सर –1 के अनुसार सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त विज्ञप्ति संख्या 1 (6) 197 राज 08/73 दिनांक 21/6/1973 के द्वारा नोटिस में वर्णित भूमि को अन्तिम रूप से रक्षित वन घोषित किया जाना बताया है। जबकि उक्त भूमि इससे पूर्व ही दिनांक 31/1/72 को आवटंन कमेटी द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को वर्ष 31.12.1970 से पूर्व का कब्जा मानते हुये आवंटित हो चुकी थी। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि वन विभाग के अधिकार में आने से पूर्व ही आवंटित हो चुकी थी। उसके बाद भूमि कई बार विक्रय होकर कई व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होती रही है। उसके बाद उक्त भूमि का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समरिवर्तन आदेश क्रमांक 38 दिनांक 25/5/18 के द्वारा श्री भंवरलाल पुत्र सोनाराम, सांवरमल, विजयकुमार, श्रवण पुत्र रामदेवाराम, गोरली पत्नी रामदेवाराम, जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरा के नाम भूमि खसरा नंबर 215, 216, व 217 कुल रकबा 1.61 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि आद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन क्रेसर हेतु) हुआ है। उसके बाद उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.5.2018 को अप्रार्थी नरेन्द्रकुमार सैनी खरीदी है। तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 14/12/18 की पालना में दिनांक 1/1/19 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवार हल्का बागोरा द्वारा खातेदारान की मौजूदगी व वनविभाग के अधिकारी एंव हल्का फोरेस्टर की मौजूदगी में किया गया। सहायक वन सरक्षक झुझुनू द्वारा प्रकरण संख्या– 22/18 में दिनांक 13/11/18 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत एक नोटिस अप्रार्थी के नाम से जारी किया जिसका जवाब प्रस्तुत होने पर न्यायालय सहायक वन सरक्षक झुझुनू द्वारा संतुष्ट होने पर आदेश दिनांक 29/1/19 के द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही निरस्त की गई है। आवेदक वन विभाग द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी 2012 का हवाला देकर वन अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं को देखकर राजस्व अधिकारी भूमि आवंटन/रूपान्तरण करने का उल्लेख किया

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

गया है। परिपत्र 29 फरवरी 2012 का है जब कि विवादित भूमि का अवांटन 31.1.1972 को ही हो चुका था।

इस प्रकार विवादित भूमि की उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी 1973 में रक्षित वन भूमि घोषित थी, जब कि इससे पूर्व ही दिनांक 31.1.1972 को इसका नियमानुसार आवंटन हो चुका था। ऐसी सूरत में उपरोक्त भूमि को रक्षित वन भूमि का भाग नहीं माना जा सकता । नियमन कमेटी ने 1970 से पूर्व का काबिज भूमिहीन व्यक्तियों का कब्जा काश्त मानकर नियमन किया है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित करने से पूर्व कब्जे के संबंध में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। वन विभाग विवादित भूमि को वन रक्षित भूमि होने का कथन करता है, परन्तु अब तक इतने वर्षों के दौरान राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के नाम दर्ज नहीं हुई है। तथा भूमि का बार–बार स्थानान्तरण होने व किस्म परिवर्तन होने तक पटवारी हल्का द्वारा कब्जा इत्यादि की जांच करने एवं स्थानान्तरण होने पर क्रेता पक्ष के हक में नामांतरकरण दर्ज करने एवं बेचाननामा तथा संपरिवर्तित आदेश में कब्जे का आदान–प्रदान होने तथा भौतिक रूप से क्रेता /विक्रेता/खातेदार का कब्जा होना यह साबित करता है कि विवादित भूमि पर आवेदक क्षेत्रीय वन अधिकारी का कभी भी भौतिक कब्जा नहीं रहा है। आवेदक के कथनों को सही भी माना जावे तो उस सूरत में भी आवेदक ने युक्तियुक्त व तर्कसंगत समय में आवेदन'–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में इस संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया कि वे 47 वर्ष तक कहां थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक काबिज व्यक्ति को संक्षिप्त प्रक्रिया समरी ट्रायल के माध्यम से उसके हक अधिकार नहीं छीने जा सकते। इस प्रकार आवेदक ने प्रार्थना पत्र भी युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि को वन विभाग अपने स्वामित्व में रक्षित भूमि घोषित करवाना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों का निर्धारण करवाने के लिये स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्य अलाटमेंट आफ लेण्ड फोर एग्रीकल्चर परपज नियम 1970 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल मातहत

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू